दिनांक 20.07.2022 को प्रस्तावित जिला उद्योग मित्र बैठक हेतु एजेण्डा नोट

<u>विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि</u>– महोदय अवगत कराना है कि जिला उद्योग मित्र की विगत बैठक दि0 23.05.2022 को मा0 जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही कार्यालय के पत्र सं0 336–सी दिनांक 28.05.2022 द्वारा सभी सदस्यों/विभागों को अनुपालनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।

विगत बैठक (दिनांक 27.04.2022 एवं 23.05.2022) की बैठक में लम्बित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही–

क0सं0	बैठक से सम्बन्धित बिन्दु	अब तक की की गई कार्यवाही की प्रगति	सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
1	रामनगर के तेलीपुरा चिल्किया रोड को चौड़ा करने विषयक।	रामनगर के तेलीपुरा चिल्किया रोड को चौड़ा करने विषयक बिन्दु पर अवगत कराना है कि सदर्भित मार्ग के सुधार कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 3325 दिनांक 03.09.2021 द्वारा रू0 295.35 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। विगत बैठक में अध्यक्ष महोदय ने टैण्डर की कार्यवाही यथाशीघ्र निस्तारित कर, कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त कार्य का अनुबन्ध दिनांक 07.01.2022 को गठित कर, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। <u>अध्यक्ष महोदय ने विगत बैठक में उक्त कार्य यथाशीघ्र 01 माह में पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। अधि0अभि0 लो0नि0वि0 ने अपने पत्र संख्या 1093 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। (प्रति संलग्न)</u>	लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड रामनगर
2	कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ा करने, बजूनिया हल्दू – मूसांबगर होते हुये कोटाबाग बाजार तक मार्ग निर्माण विषयक।	कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने सम्बन्धी बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, उद्योग मित्र की पूर्व बैठकों में दिये गये निर्देषों के क्रम मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव 32.00 किलोमीटर, लागत रु0 73.28 लाख गठित कर, मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी के पत्रांक 922 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड षासन को प्रेषित किया गया है। जिसकी स्वीकृती आपेक्षित है। जबकि बजूनिया हल्दू–मूसाबंगर होते हुए कोटाबाग बाजार तक के मार्ग निर्माण सम्बन्धी माग के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग एवं हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्श के पदाधिकारियों के साथ सम्बन्धित सड़क का निरीक्षण किया गया, जिसमें लोक निर्माण विभाग, रामनगर के प्रतिनिधि का कहना था कि उक्त मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु विभाग के पास पृथक से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। यदि उद्योग मित्र समिति के माध्यम से विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होता है तो, आगणन तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा सकेगा। विभाग द्वारा दिनांक 22–11–2021 की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित सड़क को एक लेन से दो लेन में परिवर्तित करने के कार्य (प्रथम चरण) का अगणन लम्बाई 7.00 कि0मी0 अनुमानित लागत रु0 21.00 लाख गठित कर, पत्र संख्या 556 दिनांक 26.04.2022 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को प्रेषित कर दिया गया है। जो वर्तमान में उनके पत्र संख्या 923 दिनांक 28.05.2022 द्वारा दिनांक 06.06.2022 को विभाग को आपत्तियों के साथ प्राप्त हुआ। <u>अधि0अभि0 रामनगर ने अपने पत्र 1093 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया है, कि उनके द्वारा उक्त आगणन को आपत्तियों का निराकरण कर, जिसे पुनः उनके द्वारा कार्यालय के पत्र संख्या 1094 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय, लो0नि0वि0 नैनीताल को प्रेषित किया गया है।(प्रति संलग्न)</u>	लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड रामनगर

3	पावर हाउस से नरसिंह तल्ला कमलुवागांजा तक सड़क मरम्मत कराये जाने विषयक।	पावर हाउस से नरसिंह तल्ला कमलुवागांजा तक सड़क मरम्मत कराये जाने विषयक बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि सम्बन्धित सड़क का लोक निमार्ण विभाग के अधिकारियों एवं चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 28.12.2021 संयुक्त निरीक्षण कराया गया, जिस पर विगत बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित सड़क नगर निगम के अन्तर्गत होने की जानकारी दी गयी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा लो0नि0वि0 को आयुक्त नगर निगम के साथ सम्बन्धित सड़क का सर्वे निरीक्षण कर, कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अधि0 अभि0 हल्द्वानी ने अपने पत्र संख्या 905 दिनांक 23–04–2022 द्वारा अवगत कराया है सम्बन्धित सड़क का पूर्व में संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। उक्त सड़क नगर निगम हल्द्वानी के अन्तर्गत होने के कारण मार्ग निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही नगर निगम हल्द्वानी द्वारा की जा सकेगी। **इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सडक के मरम्मत / निर्माण हेतु आयुक्त नगर निगम, हल्द्वानी को इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही एवं अद्यतन प्रगति हेतु कार्यालय द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 172–75 दिनांक 02.05.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। प्रगति आपेक्षित है।**	ले0नि0वि0 हल्द्वानी
4	भुजिया घाट क्षेत्र से सूर्या गांव सातताल– मोटर मार्ग बनाये जाने बिन्दु से सम्बन्धित।	सूर्या गांव सातताल–मोटर मार्ग निर्माण किये जाने से सम्बन्धी बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में श्री बिशन राम पूर्व प्रधान द्वारा प्रेषित पत्र अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, भवाली को प्रेषित किया गया था, बैठक में उपस्थित विभाग के सहायक अभियन्ता, द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के प्रथम चरण आगणन रू0 61.50 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। **इस सम्बन्ध में अधि0 अभियन्ता भवाली ने अवगत कराया है कि उक्त सडक के प्रस्ताव का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 हल्द्वानी के पत्रांक 6526 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।**	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवाली।
5	ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर रोड, हल्द्वानी से लगे भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले संपर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक ।	इस सम्बन्ध में विगत बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 हल्द्वानी को, उक्त कार्य का आगणन प्रस्ताव अपने स्तर से उच्च अधिकारियों / प्रमुख सचिव महोदय, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये। अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ने अवगत कराया **कि सम्बन्धित मार्ग का आगणन नई Schedule of Rate (SOR) के अनुसार गठित कर भेजा जायेगा। नई दरें जुलाई माह में जारी होने की सम्भावना है। खनन न्यास निधि में उक्त आगणन गठित कर लागत रू0 82.51 लाख, पूर्व में ही दिनांक 06.05.2022 को प्रेषित कर दिया गया है।**	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
6	श्री उमेश चन्द्र डालाकोटी की देवलचौड़ बन्दोबस्ती, रामपुर रोड, स्थित इकाई के समीप सिंचाई विभाग की नहर पर पुलिया निर्माण किये जाने विषयक।	सम्बन्धित प्रकरण पर अवगत कराना है, कि अधि0अभि0 सिचांई खण्ड, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 777 दिनांक 04.05.2022 द्वारा सूचित कराया है कि, उनके द्वारा नहर पर पुलिया निर्माण का प्राक्कलन रू0 2.08 लाख गठित कर लिया गया है उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 859 दिनांक 18.06.2021 एवं प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2001 दिनांक 22.06.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदक को पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप प्राक्कलन की स्वीकृत धनराशि आवेदक / इकाई स्वामी को विभागीय खाते में जमा करानी होगी, तत्पश्चात् पुलिया निर्माण विभाग द्वारा किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता, सिंचाई को निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करते हुए, उद्यमी से देय वांछित धनराशि जमा करा कर, स्वीकृति प्राप्ति	अधिशासी अभियन्ता, सिचांई विभाग।

		के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। प्रगति आपेक्षित है।	
7	मै0 डालाकोटी पेन्ट एण्ड कैमिकल फैक्ट्री में पेयजल संकट होने सम्बन्धी बिन्दु। रामपुर रोड स्थित भारत माईन्स एण्ड मिनरल चॉदनी चौक गन्ना सेन्टर, एवं वरदान मिनरल्स में पीने के पानी की समस्या।	ग्राम हरिपुर जमनसिंह स्थित मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड कैमिकल फैक्ट्री एवं अन्य इकाईयों में पेय जल संकट होने विषयक बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, उत्तराखण्ड पेय जल निगम भीमताल द्वारा अपने पंत्रांक 1340 दिनांक 27.04.2022 द्वारा उक्त ग्राम हेतु संचालित योजना को दिनांक 19.01.2021 को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तांतरित किया गया है। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्रांक 986 दिनांक 27.04.2022 द्वारा बताया गया कि जल निगम, भीमताल को आवंटित है। चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जल संस्थान के सम्बन्धित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु, जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल लाईन निर्माण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधि0अभि0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, को बैठक में उपस्थित रहकर वस्तु स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु दूरभाष के माध्यम से सूचित कराया गया है।	अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, हल्द्वानी।
8	लीसा इकाइयों द्वारा लीसे का मूल्य अधिक होने के कारण एवं इस पर 10.5 प्रतिशत का अधिक कर होने से उद्योग बन्द होने के कगार पर है। लीसा नीलाम की शर्त संख्या 17 में दिनांक 25.09.2020 का शासनादेश का उल्लेख किया गया है व मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा समाप्त करते हुये इसे 2 प्रतिशत निर्धारित करते हुये इससे अधिक जमा की गयी धनराशि को वापस/ समायोजित किया जाये। लीसा इकाईयां 04 माह से नीलाम न होने से बंद है। इसके अतिरिक्त लीसा इकाईयों से मण्डी शुल्क भी लिया जा रहा है।	लीसा इकाईयों द्वारा लीसे का मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत अथवा 12.5 प्रतिशत होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने संबंधी बिन्दु पर विगत बैठक में उपस्थित प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग द्वार ।अवगत कराया गया था कि, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देशों के अनुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क वसूला जाता था।परन्तु उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–2 के आदेश संख्या 2021/X-2-2020-15(04)2013दिनांक 25.09.2020 के क्रम में लीसे की बिक्री पर 12.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली कर, नीलाम में बिक्री किये गये लीसे का निस्तारण किया जा रहा है। लीसे पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क एवं 0.50 प्रतिशत विकास सैस उत्तराखण्ड राज्य गठन के पूर्व से लिया जाता रहा है। बैठक में उपस्थित उप निबन्धक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन द्वारा अवगत कराया गया कि निकाले हुये लीसे की बिक्री पर मूल्यांकन का 2 प्रतिशत, लीसे की नीलामी के आधार पर मूल्यांकन का 5 प्रतिशत तथा लीसे को लीज के आधार पर लीज वर्षों के आधार पर क्रमशः 01 वर्ष से 05 वर्ष तक मूल्यांकन के 03 गुने का 2 प्रतिशत, 06 वर्ष से 10 वर्ष तक मूल्यांकन के 04 गुने का 2 प्रतिशत, 11 वर्ष से 20 वर्ष तक मूल्यांकन के 05 गुने का 2 प्रतिशत, 21 वर्ष से 30 वर्ष तक मूल्यांकन के 06 गुने का 2 प्रतिशत एवं 30 वर्ष से अधिक वर्षों की लीज पर मूल्यांकन का 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा विगत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग द्वारा पत्र संख्या 18–2 दिनांक 21.06. 2022 प्रभाग एवं उपनिबन्धक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 110 ए दिनांक 06.06.2022 द्वारा एक दूसरे को परस्पर लीसा इकाईयों से प्राप्त की जाने वाली स्टाम्प शुल्क दरों से अवगत कराया गया है। जिसकी सूचना सम्बन्धित विभागों ने इस कार्यालय को प्रेषित की है।	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल
9	33/11 के.वी. उपसंस्थान कोटाबाग से निकलने वाले नये पोषक कोटाबाग से सौनजाला तक 1.2 कि.मी. लाईन बनाने के कार्य में	इस सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2022 की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, को आंमत्रित किया गया जिसमें चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कोटाबाग की सहमति पर दिनांक 30.05.2022 को उक्त लाईन के निर्माण के समय कानून एवं व्यवस्था बनाये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी को पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।	उपखण्ड अधिकारी, कोटाबाग

	व्यवधान के कारण प्रशासनिक / पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत कोटाबाग द्वारा अपने पत्र 526 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया है <u>कि सम्बन्धित क्षेत्र में 11 के.वी.ए. लाईन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में उपसंस्थान में ब्रेकर लगाने का कार्य किया जाना है। तब तक उक्त लाईन को अस्थाई रूप से ऊजीकृत करने हेतु टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।</u>	
10	मै0 एन.बी. मिनरल कारपोरेशन जो उत्तराखण्ड में एक मात्र मैग्नेसाइट सप्लाई करने वाली माईन है जो कि विगत 02 साल से बंद है जिससे इस इकाई से कच्चा माल प्राप्त करने वाले कुमाऊँ रिफैक्ट्रीज एवं मै0 नोवल कास्टेबल भी बंद पडी है।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह प्रकरण पूर्व की बैठकों में भी प्रस्तुत किया गया था, अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या 1496—97 दिनांक 31.012.2019 द्वारा पूर्व में 604—05 दिनांक 07.08.2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव खनन को प्रेषित किया गया है। जिस पर कार्यवाही शासन स्तर से की जानी है।	

नये बिन्दु :—

1	ग्राम सकतपुर नरपतपुर चकलुवा स्थित मै0 शिवम इंडिया वैबरेज जिसमें फूड प्रोसेसिंग जूस एवं कोल्ड ड्रिंक का उत्पादान किया जाता है। इकाई से मात्र 10 मी0 की दूरी पर पोल्ट्री फॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। जिससे प्रदूषण होने की पूर्ण सम्भावना बनी हुयी है। अतः इकाई को दूसरी जगह स्थानान्तरित करवाने का कष्ट करें।	प्रदूषण नियंत्रण विभाग / पशुपालन विभाग।
2	हर्ष पैकेजिंग कोटाबाग में विद्युत की अनियमतता विगत 01 वर्ष से बनी हुयी है, जिस कारण से उद्योग बंद होने के कगार पर है।	अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर।
3	मै0 पिनेकल कोटाबाग को जल संस्थान द्वारा पानी की सप्लाई ना प्राप्त होने के बाद भी रू0 50,000.00 से अधिक का बिल विभाग द्वारा भेजा जा रहा है, उक्त समस्या 2008 से बनी हुयी है।	उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर।
4	जोशी इन्टर प्राइजेज द्वारा के सोलर पावर प्रोजेक्ट हेतु रू0 284.00 लाख का CGTSME के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक में दिनांक 25.05.2022 को आवेदन किया है। जिसकी पत्रावली क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक में लंबित है। जिससे प्रोजेक्त प्रारंभ नही हो पा रहा है।	लीड बैक अधिकारी / मण्डल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैक।
5	स्वरोजगार प्रशिक्षुओं और ग्राम स्वंय सहायता समूह के द्वारा निर्मित सामान को बाजार आउटले उपलब्ध कराये जाने हेतु डोलमार (भुजियाघाट) में स्थान उपलब्ध कराये जाने विषयक बिन्दु श्री नानक चन्द लोहिया जी से प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वंय सहायता समूह द्वारा अपने सामान की ब्रिकी हेतु स्थान चाहने हेतु सम्बन्धित ब्लॉक में आवेदन किया जाता है। खण्ड विकास अधिकारी, भीमताल द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास खण्ड को उक्त आश्य को कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।	खण्ड विकास अधिकारी, भीमताल।
6	मै0 पिनेकल कोटाबाग का स्टाम्प ड्यूटी से सम्बन्धित बिन्दु।	उपनिबन्धक स्टाम्प।
7	उद्योग मित्र की बैठको में कई मामले सचिव स्तर से निस्तारण हेतु लंबित रहते है, जिनके निस्तारण हेतु पूर्व की तरह 03 माह में कमिश्नरी मीटिंग का संचालन किया जाना आवश्यक है।	

अन्य कोई बिन्दु— अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।